न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)
पीठासीन अधिकारीः–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 57/2022 दायरा दिनांकः 30.03.2022 GCMS CASE NO-

धर्मपाल पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी हिन्दौर तहसील सूरतगढ़

–प्रार्थी

बनाम

1. गोमीखान पुत्र साहबदीन जाति मुसलमान निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़
2. जानू खान पुत्र साहबदीन जाति राठ (मुसलमान) निवासी करडू तहसील सूरतगढ़
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

–अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थितः–
1. श्री जसवीर सिंह बराड़
2. श्री रामप्रताप तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3. पैरोकार राज, अप्रार्थी संख्या 3

:: निर्णय :: दिनांकः– 08/01/2025

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा यह शिकायत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी के नाम से वाके रोही उदयपुर गोदारान के खसरा न. 78 में 34.00 बीघा टीसी आवंटन रकबा था। जिसमें से 5.9 बीघा की टीसी आवंटन को खारिज किया गया व शेष रकबा दिनांक 10.07.2007 को आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा पुख्ता कर दिया। इसी आदेश में खसरा न. 78 की 12.00 बीघा भूमि को खारिज कर दिया, जो आज तक किसी न्यायालय द्वारा बहाल नहीं हुई। उक्त खारिज भूमि रोही उदयपुर गोदारान से पैमूद होकर चक 5–6 एमआरएम के पत्थर न. 79/62 (98) के किला न. 3/2 में 0.114, 4/0.253, 7/0.253, 8/1 में 0.117, 13/2 में 0.240, 14/0. 253, 18/0.253, 23/1 में 0.228, 23/2 में 0.025 कुल 1.796 है0 कमाण्ड मय गै.मु. रास्ता शामिल था। उक्त रकबा पर प्रार्थी का कब्जा वर्तमान में भी निरन्तर चला आ रहा है व किला न. 23 में डिग्गी का निर्माण भी कर रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त रकबा पर अपना कब्जा काश्त दिखाकर टीसी आवंटन करवा लिया जो नियम विरूद्व है। बिना कब्जा के टीसी आवंटन किया जाना उचित नहीं है। उक्त रकबा खारिज होने के उपरांत अप्रार्थी संख्या 1 ने सांठगांठ कर 1.796 है0 कमाण्ड मय गैमु रास्ता रकबा का कब्जा काश्त अपने नाम दिखाकर टीसी आवंटन करवा लिया व वर्तमान में अप्रार्थी न. 1 के नाम से गैर खातेदारी दर्ज चला आ रहा है। अब अप्रार्थी संख्या 1 उक्त रकबा की खातेदारी लेना चाहता है। अतः चक 5–6 एमआरएम की उक्त 1.771 है0 कमाण्ड भूमि मय 0.025 है0 गैमु रास्ता भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम गैर खातेदारी दर्ज है जो खारिज कर रकबा राज दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जसवीर सिंह बराड उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रताप तिवाडी हाजिर आये। अप्रार्थी संख्या 2 [illegible] पर्याप्त सूचना के आज दिनांक तक अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 3 की [illegible]कार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्र[illegible] पत्र मीमों में अंकित तथ्य एवं शिकायत को सिद्ध करने वाले दस्तावेजात [illegible]

वकील अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] बहस प्रार्थना पत्र मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 5, 6 एमआरएम के पत्थर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

1126

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.01.28 11:18:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न. 79/62 (98) के किला न. 3, 4, 7, 8, 13, 14, 18, 23 में 1.796 है0 भूमि गैर खातेदारी आवंटन है। उक्त रकबा पर आवंटन की दिनांक से लेकर आज तक मुझ अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का यह कथन कि किला न. 23 पर उसने डिग्गी का निर्माण कर रखा है कतई गलत व झूठा है। उक्त टीसी आवंटन रकबा खरा न. 78 से पैमूदशुदा है। जो कि रिकार्ड भूप्रबंध कॉलोनाईजेशन एवं जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 66/1 से पूर्णतः साबित है व इस भूमि पर मुझ अप्रार्थी संख्या 1 का टीसी से लेकर आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। चक 5, 6 एमआरएम के पत्थर न. 79/62 (98) के किला न. 3, 4, 7, 8, 13, 14, 18, 23 में 1.796 है0 व पत्थर न. 79/60 (93) के किला न. 5 व 15 की 0.558 है0 व पत्थर न. 79/61 (96) के किला न. 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 की 1.935 है0 व पत्थर न. 99/4 (94) के किला न. 1 व 10 की 0.329 है0 कुल 4.643 है0 भूमि प्रार्थी के नाम से गैर खातेदारी आवंटनशुदा है तथा मौके पर मुझ अप्रार्थी का कब्जा काश्त चला अरा रहा है। उक्त भूमि पूर्व में टीसी आवंटन थी जो पूर्व में रोही उदयपुर गोदारान के खरा न. 78 में थी जो चकबन्दी में पैमूद होकर चक 5–6 एमआरएम के पत्थर न. 79/60, 79/61, 79/62, 99/4 में पैमूद हुई है तथा अब यह भूमि मुझ अप्रार्थी क नाम गेर खातेदारी पुख्ता आवंटन हो चूकि है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 1 गोमीखां को रोही उदयपुर गोदारान के खसरा न. 78 में 34.00 बीघा भूमि टीसी आवंटित थी। आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के टीसी पुख्ता आवंटन प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांक 10.07.2007 द्वारा उक्त 34.00 बीघा में से 18.07 बीधा भूमि ही पुख्ता आंवटन की गई तथा शेष 3.13 बीघा गैर मुमकिन नहर होने के कारण टीसी आवंटन खारिज कर दिया गया तथा 12.00 बीघा टीसी खारिज कर अधिशेष घोषित कर दी गई। चकबंदी उपरांत ग्राम 5–6 एमआरएम की जमाबंदी संवत 2070–2073 में प्रार्थी के नाम से शेष पुख्ता आवंटन शुदा ही दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि उक्त पुख्ता आवंटन शुदा में शामिल है, जिसे निरस्त करना हम उचित नहीं समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन पाये जाने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8-1-25

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.01.28 11:18:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner